बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 138

दिवास्वप्न जैसे लक्ष्य

मोदी सरकार अपने लिए ऐसे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय करती है जिनके बारे में अधिकांश लोगों को लगता है कि इन्हें हासिल नहीं किया जा सकता है। ऐसे कुछ लक्ष्यों की बात करें तो जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 2022 तक 17 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी करना, 2022 तक ही किसानों की आय दोगुनी करना, 2025 तक निर्यात दोगुना करना और 2025 तक जीडीपी का आकार 5 लाख करोड़ डॉलर करना शामिल हैं। गत वर्ष तक इसका आकार 2.7 लाख करोड़ डॉलर था। लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीडीपी में 8 फीसदी की औसत वार्षिक वृद्धि की जरूरत होगी, वह भी तब जबकि मुद्रास्फीति 4 फीसदी हो। सरकार को ये महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय करने का प्रोत्साहन इस बात से मिलता होगा कि उसने ऐसे ही कुछ लक्ष्य हासिल करने की दिशा में अहम प्रगति की है। इनमें घरेलू गैस की उपलब्धता, राजमार्ग निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, बैंकिंग समावेशन और खुले में शौच से मुक्ति शामिल हैं। परंतु शौचालय बनाने जैसे लक्ष्य हासिल करना एक बात है और महत्त्वाकांक्षी वृहद आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करना एकदम अलग बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके लिए शिथिल नियंत्रण वाली व्यवस्था, तालमेल भरे कदम और उचित नीतिगत ढांचे के साथ समय-सीमा का मजबूती से पालन आवश्यक हैं। सरकार पहले मोर्चे पर तो सफल है लेकिन बाद वाले मुद्दों पर नहीं।

निर्यात वृद्धि की बात करें तो गत पांच वर्षों में इसमें 5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे समय में जबकि वैश्विक कारोबारी माहौल में गिरावट आ रही है, अगले छह वर्ष में इसमें 100 फीसदी की बढ़ोतरी लाने के लिए कितने बदलाव और प्रयास की आवश्यकता पड़ेगी, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से ही थमी हुई है। ऐसे में अगले कुछ वर्ष में इसमें 50 फीसदी सुधार की अपेक्षा कैसे की जाए? किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार के पास नीतिगत उपाय नहीं हैं और वित्तीय हालात भी अनुकूल नहीं हैं।

अवास्तविक लक्ष्य तय करने का सिलसिला मोदी सरकार के शुरुआती वर्षों तक जाता है। तब कहा गया था कि जीडीपी वृद्धि दर को दो अंकों में ले जाया जाएगा। आज जब हम हकीकत के करीब हैं तो अगर हम अरविंद सुब्रमण्यन की चिंताओं को किनारे कर आधिकारिक जीडीपी आंकड़ों को स्वीकार कर लें तो भी विगत कुछ वर्षों में जीडीपी वृद्धि दर औसतन 7 फीसदी रही है। अधिकांश पूर्वानुमान कहते हैं कि वृद्धि इस वर्ष और अगले वर्ष इसके आसपास ही रहेगी। अगर 5 लाख करोड़ डॉलर के लक्ष्य को गंभीरता से लिया जाए तो जीडीपी वृद्धि दर को बढ़ाकर औसतन 8.5 फीसदी करना होगा। वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के बाद से हम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके हैं। कहने वाले कह सकते हैं कि इस लक्ष्य को हासिल करने में एक वर्ष की देरी से कुछ खास नुकसान नहीं होगा। ऐसे में चिदंबरम की बात याद आती है कि तब यह मौजूदा वृद्धि दर का संयुक्तीकरण रह जाएगा। असल मसला है सरकार की नीतिगत दिशा का। उदाहरण के लिए संरक्षणवाद और शुल्क नीति के मामले में सरकार निर्यात मामलों के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह की अनुशंसा के एकदम विपरीत काम कर रही है। दो श्रम संहिताओं से श्रम कानून संबंधी कुछ मुद्दों से निबटा जा रहा है जिन्हें अंतिम रूप दिया जा चुका है। अधिक लचीले श्रम बाजार का मूल मुद्दा आंशिक रूप से ही हल हुआ है। वैश्विक आपूर्ति शृंखला से एकीकरण बढ़ाने की दिशा में भी कुछ खास नहीं हुआ।

आगे की राह आसान नहीं रहने वाली है, यह बात प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की लॉजिस्टिक सलाहकार समिति की गत दिसंबर की रिपोर्ट से पता लग चुकी है। रिपोर्ट देश के निर्यातकों की लागत की समस्या और बुनियादी सुविधाओं की कमी का जिक्र करती है और अन्य देशों के निर्यातकों से उनकी तुलना प्रस्तुत करती है। पोर्ट लॉजिस्टिक्स (नौपरिवहन समेत) के कारण कुल लागत 7 से 8 फीसदी बढ़ जाती है। परिवहन, पूंजी, बिजली आदि अन्य लागत भी दूसरे देशों से अधिक हैं। प्रक्रियाओं और दस्तावेजीकरण को सुसंगत और आसान बनाने की दिशा में भी अभी काफी कुछ किया जाना है। यह नई सरकार के कार्यकाल के शुरुआती दिन हैं। एक ओर जहां 100 दिन की कार्य योजना की बात हो रही है, वहीं सबको पता है कि प्रधानमंत्री भारी भरकम कदम के बजाय चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना पसंद करते हैं। इसके बावजूद अगर उनकी सरकार चाहती है कि तय किए गए महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य शर्मिंदगी का सबब न बन जाएं तो उसे तेजी से कदम उठाने होंगे।

साप्ताहिक मंथन

टी. एन. नाइनन

अजय मोहंती

खराब नजीर पेश करता पंचाट का फैसला

भारत को खराब दिवालिया निर्णयों से बचाव की आवश्यकता है। एस्सार स्टील मामले में न्यायमूर्ति मुखोपाध्याय द्वारा दिया गया निर्णय ऐसा ही एक फैसला है। विस्तार से बता रहे हैं **ओंकार गोस्वामी**

राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपील पंचाट (एनसीएलएटी) द्वारा एस्सार स्टील मामले में दिए गए फैसले के बाद देश के कानूनी और बैंकिंग हलकों में मानो आफत सी आ गई है। गत 4 जुलाई को दिए गए इस 116 पन्नों के निर्णय में एनसीएलएटी प्रमुख न्यायधीश सुधांशु मुखोपाध्याय ने दिवालिया पुनर्गठन के सिद्धांतों को मानो सर के बल उलट दिया है।

इसे लेकर की गई टिप्पणियां भी नकारात्मक थीं। एक खबर की सुर्खी थी, 'एनसीएलएटी का एस्सार स्टील संबंधी फैसला सुरक्षित ऋणदाताओं के अधिकार का हनन करता है, आईबीसी का मजाक उड़ाता है।' एक अन्य खबर में लिखा गया कि एस्सार स्टील मामले में एनसीएलएटी का निर्णय एकदम गलत है। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि ऋणदाता इस निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेंगे।

सवाल यह उठता है कि उक्त आदेश क्या है और आईबीसी तथा दिवालिया प्रक्रिया के वैश्विक मानकों के समक्ष यह कहां टिकता है?

दिवालिया का संबंध ऋण डिफॉल्ट से है। चूंकि ऋण में कर्जदार और कर्जदाता के बीच अनुबंध होता है। कर्ज चुकाने से जुड़ी तमाम बातों से इतर दिवालिया प्रक्रिया का एक सर्वमान्य सिद्धांत यह है कि कर्जदाता के बकाया कर्ज का निस्तारण अन्य दावेदारों से पहले किया जाएगा।

कर्ज के मामलों में दावेदारों का एक पदसोपान होता है। पहला दावा सुरक्षित कर्जदारों का होता है। इसमें बैंक और वित्तीय संस्थान आते हैं। आईबीसी इन्हें सुरक्षित वित्तीय कर्जदाता कहता है। अगर उनके दावों के निपटान के बाद कुछ बच जाता है तो असुरक्षित कर्जदाताओं की बारी आती है। ये होते हैं व्यापारिक कर्जदाता, सरकारी एजेंसियां और कर्मचारी आदि। इन सबके पास कर्जदाता के अधिकार होते हैं लेकिन इनका ऋण असुरक्षित होता है। आईबीसी में इन्हें परिचालन ऋण दाता कहा जाता है।

सुरक्षित वित्तीय ऋणदाताओं को दावे में वरीयता देने की दो वजह हैं। वैधानिक नजरिये से सबसे पहले सुरक्षित ऋणदाताओं का दावा निपटाया जाना चाहिए। इससे भी अहम यह कि ये सुरक्षित ऋणदाता यानी बैंक और वित्तीय संस्थान सार्वजनिक और जमाकर्ताओं के फंड का इस्तेमाल करते हैं। बिना वरीयता के दावे के पूरे बैंकिंग तंत्र को जोखिम पैदा हो जाएगा। बैंक अपने सुरक्षित ऋण की दर कम रखते हैं क्योंकि उन्हें कर्जदार की परिसंपत्ति का भरोसा रहता है। बिना इसके वे ज्यादा ब्याज वसूलेंगे।

आईबीसी के अधीन दिवालिया निस्तारण की बात करें तो इसकी दो धाराएं अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। पहली है धारा 30, जिसमें कहा गया है कि दिवालिया निस्तारण के लिए नियुक्त पेशेवर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कतिपय शर्तों का पालन हो। एक शर्त यह है कि योजना में असुरक्षित परिचालन ऋणदाताओं का कर्ज चुकाने के लिए अलग रखी गई राशि उस राशि से कम नहीं होनी चाहिए जो नकदीकरण की स्थिति में चुकाई जाती।

धारा 30 की अन्य शर्तों के अनुसार: (1) निस्तारण पेशेवर को योजना मंजूरी के लिए ऋणदाता समिति के समक्ष पेश करनी चाहिए (2) यदि वित्तीय ऋणदताओं की कुल मत हिस्सेदारी का 75 फीसदी पूरा होता है तो मंजूरी दी जाती है, बशर्ते कि यह बकाया सुरक्षित ऋण की हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता हो और (3) ऋणदाता समिति की मंजूरी हासिल हो और यह योजना समुचित प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत हो जो कि एनसीएलटी या अपील के मामलों में एनसीएलएटी है।

धारा 31 में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकार संतुष्ट है कि ऋणदाता समिति की निस्तारण योजना धारा 30 के अधीन सारी जरूरतों को पूरा करती है तो यह योजना को मंजूरी देते हुए आदेश पारित कर सकता है जो तमाम पक्षकारों पर लागू होगा।

न्यायमूर्ति मुखर्जी ने धारा 31 का इस्तेमाल करते हुए यह दर्शाया कि एनसीएलएटी केवल ऋणदाताओं की समिति की योजना को मंजूरी देने वाला प्राधिकार नहीं है बल्कि वह उसमें तब्दीली भी ला सकता है।

सबसे पहले उन्होंने पैरा 148 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की मनमानी व्याख्या करते हुए कहा कि परिचालन ऋणदाताओं और वित्तीय ऋणदाताओं के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। यह आईबीसी और दिवालिया के नियमों के खिलाफ है।

दूसरा, पैराग्राफ 149 और उसके बाद उन्होंने कहा कि आर्सेलर मित्तल द्वारा एस्सार स्टील के अधिग्रहण के बाद दी गई 42,000 करोड़ रुपये की राशि के वितरण में परिचालन और वित्तीय ऋणदाताओं में काफी भेदभाव किया गया। तीसरा, मुखोपाध्याय आईबीसी की धाराओं 5 (7) और 5 (8) में वित्तीय ऋणदाताओं और वित्तीय कर्ज की अजीब परिभाषा देते हुए कहते हैं कि निस्तारण योजना में वित्तीय ऋणदाता को सुरक्षित या असुरक्षित में नहीं बांटा जा सकता। यह बात नकदीकरण या दिवालिया पुनर्गठन के तमाम सिद्धांतों को धता बताती है।

मुखोपाध्याय कहते हैं कि जहां परिचालन ऋणदाता को पुनर्गठन में नकदीकरण की तुलना में कम भुगतान नहीं किया जा सकता वहीं इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें अधिक राशि भी नहीं दी जा सकती। इस आधार पर उन्होंने ऋणदाता समिति द्वारा किए गए आवंटन को रद्द कर दिया और एक नई व्याख्या प्रस्तुत की जहां सभी ऋणदाताओं से समान व्यवहार किया जाना था।

उनका आदेश नुकसान पहुंचाने वाला है क्योंकि यह दिवालिया पुनर्गठन के नियमों के खिलाफ है। 2017 में विश्व बैंक के कारोबारी सुगमता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 190 देशों में 130वीं थी। ऋणशोधन के मामले हल करने में हम 136वें स्थान पर थे। आईबीसी की बदौलत 2019 में हम इस मामले में 108वें स्थान पर आ गए और हमारी कुल रैंकिंग सुधरकर 77वीं हो गई। अगर मुखोपाध्याय के नियमों को सर्वोच्च न्यायालय भी स्वीकार कर लेता है तो हम न केवल आधुनिक दिवालिया पुनर्गठन में पिछड़ जाएंगे बल्कि कारोबारी सुगमता में भी हमारी रैंकिंग कमजोर हो जाएगी।

यह इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि अगर यह दिवालिया मामलों की न्यायिक व्याख्या का उदाहरण बन गया तो देश में विदेशी पूंजी का आगमन या दिवालिया फर्म के लिए उनका बोली लगाना मुश्किल हो जाएगा।

ऐसे परिदृश्य में मुझे नहीं लगता कि बैंक अपने फंसे हुए कर्ज की समस्या को जल्दी निपटा पाएंगे। अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने तेजी दिखाते हुए 17 जुलाई को आईबीसी में संशोधन का प्रस्ताव रख दिया जो कुछ अहम खामियों को दूर करेंगे। इससे मदद मिलनी चाहिए। चाहे जो भी हो लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी कि भविष्य में न्यायिक सक्रियता के उदाहरण स्वरूप ऐसे फैसले न आएं जो दिवालिया प्रक्रिया की बिल्कुल समझ न रखते हों।

यह इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि यहां भी 'किंतु भारत जैसे देश में...' जैसी दलील इस्तेमाल की गई। याद रहे सन 1991 तक देश में सैकड़ों मूर्खतापूर्ण आर्थिक निर्णय लिए गए और उन्हें ऐसी ही दलील के माध्यम से उचित ठहराया गया। बीते 28 वर्षों में इसमें नाटकीय रूप से कमी आई है। फिर भी यह दबे छिपे ढंग से सामने आ ही जाता है। न्यायमूर्ति मुखोपाध्याय का निर्णय ऐसा ही मामला है।

कर्नाटक की राजनीति में बनी रहेगी अनिश्चय की स्थिति

सियासी हलचल

आदिति फडणीस

बूकानाकेरे सिद्धलिंगप्पा येदियुरप्पा (उन्होंने ज्योतिषियों की सलाह पर आखिरी नाम में बदलाव किया है) चौथी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने को तैयार हैं। वह इससे पहले कभी बतौर मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और इस बार भी ऐसा ही लगता है।

इसकी वजह एकदम स्पष्ट है। सबसे पहले देखते हैं कि कर्नाटक विधानसभा का अंक गणित क्या कहता है? प्रदेश विधानसभा में कुल 225 सदस्य हैं जिनमें 224 निर्वाचित और एक नामित सदस्य है। एक स्वतंत्र विधायक के अलावा बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का एक और कर्नाटक प्रज्ञावंत जनता पार्टी (बीपीजेपी)का भी एक विधायक है।

ये हैं मुलबगल से एच नागेश, कोल्लेगल से एन महेश और रानेबेन्नूर से आर शंकर। ये तीनों कुमारस्वामी के विरोध में हैं और विधानसभा अध्यक्ष ने तीनों को सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया है। यानी वे उपचुनाव में भी हिस्सा नहीं ले सकते। इस प्रकार इन तीनों को पूरी तरह परिदृश्य से बाहर कर दिया गया है। इसका यह अर्थ भी है कि जब तक उपचुनाव नहीं होते हैं, विधानसभा में कुल 222 सदस्य रह जाएंगे और बहुमत के लिए 112 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होगा।

वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के पास 105 विधायक थे, कांग्रेस के पास 78 और जनता दल सेक्युलर के पास 37 विधायक। भाजपा ने सरकार बनाने की कोशिश की लेकिन वह नाकाम रही और कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने साथ मिलकर बहुमत हासिल कर लिया।

संकट के संकेत तो पहले दिन से स्पष्ट थे। येदियुरप्पा को लग रहा था कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। कांग्रेस ने एक छोटे दल को मुख्यमंत्री का पद सौंपा था, वह इसका लाभ चाहती थी। कांग्रेस के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को लग रहा था कि उन्हें पद से हटाया गया है और उनकी कुमारस्वामी सरकार की स्थिरता में कोई रुचि नहीं थी। यही वजह है कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'पहले दिन से कर्नाटक में कांग्रेस-जनता दल सेक्युलर गठजोड़ भीतर और बाहर से निहित स्वार्थी तत्त्वों के निशाने पर था। ये वे लोग थे जो इस गठबंधन को अपनी सत्ता की राह की बाधा मानते थे।' डीके शिवकुमार (उन चुनिंदा कांग्रेस नेताओं में से एक जो विश्वास मत पर अंग्रेजी में बोले, कई लोगों के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया ताकि 10 जनपथ उनकी बात सुने) ने वोल्तायर को उद्धृत करते हुए कहा, : ईश्वर मुझे मेरे मित्रों से बचाए। अपने दुश्मनों से मैं स्वयं बचाव कर सकता हूं।

बासवकल्याण के कांग्रेस विधायक बी नारायण राव ने विश्वास मत पर कहा, 'जब आप नीम के बीज बोते हैं तो आप आम की फसल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। मैं मौजूदा मुख्यमंत्री, पिछले मुख्यमंत्री और भविष्य में बनने वाले मुख्यमंत्री से करबद्ध विनती करता हूं, कृपया अपने आसपास अच्छे लोगों को रखें। आप अचल संपत्ति कारोबारियों को टिकट देते हैं, बिल्डरों को टिकट देते हैं, शराब के ठेकेदारों को टिकट देते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वे राजनीतिक आदर्शों के प्रति वफादार रहेंगे?'

जब मतदान का दिन आया तो 20 विधायक मतदान से दूर रहे। इनमें से 14 कांग्रेस के, तीन जनता दल सेक्युलर के और दो निर्दलीय थे।

अब तीन समस्याएं हैं।

पहली समस्या है विधानसभा अध्यक्ष की। अध्यक्ष ने भले ही तीन विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया लेकिन बाकी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार किए जाएं या नहीं, यह निर्णय उन्हें ही लेना होगा। उन्हें सिद्धरमैया और कांग्रेस की इस याचिका पर भी विचार करना होगा कि जिन लोगों ने पार्टी व्हिप का पालन नहीं किया उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। अगर विधानसभा अध्यक्ष उनका इस्तीफा स्वीकार करने के बजाय उन्हें अयोग्य घोषित करते हैं तो क्या होगा? इसमें कोई दो राय नहीं कि इस स्थिति में वे सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और यह प्रक्रिया चलती रहेगी..

दूसरी समस्या, बागियों की मनोदशा। वे अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं और मंत्री बनाए जाने को लेकर किसी तरह की गारंटी के अभाव में वे काफी दबाव महसूस कर रहे हैं। उनमें से कुछ अपनी मूल पार्टी में वापस लौटने का निर्णय कर सकते हैं। उस स्थिति में क्या होगा? सिद्धरमैया ने कह दिया है कि उन्हें किसी हालत में लौटने नहीं दिया जाएगा। लेकिन हालात बदल भी सकते हैं।

तीसरी समस्या है भाजपा की खुद की दुविधा। पार्टी को पता है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष विधायकों को अयोग्य घोषित कर देते हैं और उपचुनाव होते हैं तो बागी विधायक भाजपा से टिकट मांगेंगे, लेकिन भाजपा को पराजित करने में उनकी अहम भूमिका थी। पार्टी किसका दावा मानेगी? अपने पराजित विधायकों का या बागियों का?

वह इकलौता मुद्दा नहीं है। भाजपा की आंतरिक स्थिरता भी संदेह के घेरे में है। येदियुरप्पा के सबसे बड़े विरोधियों में से एक बीएल संतोष को पार्टी की केंद्रीय इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया है। जो लोग येदियुरप्पा के साथ नहीं हैं, वे दिल्ली में अपील कर सकते हैं। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। एक मुख्यमंत्री के लिए इससे बड़ा भय और क्या हो सकता है?

इन तमाम समस्याओं के बीच केंद्र के पास एक तरीका यह है कि वह इस हकीकत को स्वीकार करे कि विधानसभा में त्रिशंकु की स्थिति है, संवैधानिक मशीनरी ध्वस्त हो चुकी है और ऐसे में केंद्र को नए चुनाव की घोषणा करनी होगी। परंतु यह कोई विकल्प नहीं है क्योंकि विधायक इस बात पर बवाल मचा देंगे कि चुने जाने के एक वर्ष के भीतर दोबारा चुनाव क्यों?

यही कारण है कि कर्नाटक में चाहे जो भी हो लेकिन एक बात तो निश्चित है: जो भी सत्ता में आएगा वह एक ऐसी सरकार चलाएगा जो निरंतर अनिश्चय की स्थिति में रहेगी।

कानाफूसी

सशक्त आवाज

तृणमूल कांग्रेस ने एक मामले में कांग्रेस पर बढ़त कायम कर ली है। दरअसल संप्रग की साझेदार द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम ने पार्टी के नेता स्व एम करुणानिधि की मूर्ति के अनावरण के लिए तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को आमंत्रित किया है। मूर्ति का अनावरण करुणानिधि की पहली पुण्यतिथि पर 7 अगस्त को किया जाएगा। पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष एम के स्टालिन इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। नैशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला और कांग्रेस नेता तथा पुदुच्चेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी भी मौजूद रहेंगे। तृणमूल संप्रग का हिस्सा नहीं है और कांग्रेस में व्याप्त संकट को देखते हुए ममता को विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 2021 के आरंभ में विधानसभा चुनाव होने हैं।

मुद्दे की बात

सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन अपनी पार्टी की ओर से मुख्य वक्ता थे। जब ओब्रायन बोलने के लिए खड़े हुए तो उनकी पार्टी के ही एक अन्य सदस्य सुखेंद्र शेखर रॉय सदन की कार्यवाही का संचालन कर रहे थे। रॉय राज्य सभा के उपसभापतियों के छह सदस्यीय पैनल के सदस्य हैं। सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में इन्हीं में से कोई एक कार्यवाही का संचालन करता है। जब ओब्रायन ने यह बोलना शुरू किया कि किस प्रकार सरकार सदन की प्रभुता खत्म कर रही है तब रॉय ने उन्हें सलाह दी कि वह मुद्दे पर बोलें। परंतु जब ओब्रायन ने अपनी मर्जी से बोलना जारी रखा तो रॉय ने उनसे कहा कि शून्य काल नहीं चल रहा है। ओब्रायन ने उनकी टिप्पणी को सकारात्मक रूप से लिया और कहा कि राय हमेशा निष्पक्ष रहे हैं।

आपका पक्ष

वाहनों की बढ़ती संख्या बड़ी समस्या

देश की आबादी बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही सड़कों पर वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या आम हो गई है। सड़कों पर अधिक वाहनों का होना कई समस्याएं भी उत्पन्न करता है जिनमें ध्वनि तथा वायु प्रदूषण प्रमुख हैं। वर्ष 1950 में देश में कुल वाहनों की संख्या 30 लाख थी। इसमें 27 हजार दोपहिया, लाख 59 हजार कार, जीप और टैक्सी, 82 हजार ट्रक और 34 हजार बसें थीं। देश की प्रगति के साथ 2018 तक देश में कुल वाहनों की संख्या 24 करोड़ से अधिक हो गई हैं। इसमें दोपहिया 18 करोड़, चार पहिया करीब 5 करोड़ हैं जिनमें कार, टैक्सी, बसें और ट्रक शामिल हैं। वाहनों की इस संख्या से ध्वनि प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण की कल्पना की जा सकती है। ध्वनि प्रदूषण से लोग अवसादग्रस्त हो रहे हैं जिससे अनिद्रा एवं हृदय घात जैसी गंभीर बीमारी हो रही है। देश के कई शहरों में पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक वर्ष में देश में लगभग डेढ़ लाख लोगों की सड़क हादसे में मौत हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग एक वर्ष में 3 लाख लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है। सरकार सड़क हादसे को कम करने के लिए कदम उठा रही है। लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें जिससे यातायात कम हो और ध्वनि तथा वायु प्रदूषण में भी कमी आए। लोगों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

देश में वाहनों की बढ़ती संख्या से वायु और ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ रहा है

झोला छाप डॉक्टरों पर रोक की जरूरत

केंद्र सरकार ने क्लिनिकल संस्थाओं के लिए न्यूनतम मानकों का प्रस्ताव किया है जिससे शायद अब देश में झोला छाप डॉक्टरों, फर्जी दवाखाने और क्लिनिक बंद हो सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टरों तथा फर्जी दवाखानों से लोग इलाज कराते हैं जिससे उनके जान को जोखिम भी रहता है। कई ऐसे दवाखाने हैं जो पुरुषों को भ्रमित करते हैं और उनका काफी प्रचार किया जाता है। ऐसे दवाखानों के इश्तेहार दीवारों पर हर जगह लगाए जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के अनुसार अब एलोपैथी और आयुष विधि से इलाज करने वाली संस्थाओं या क्लिनिकों को नए मानकों के मुताबिक पंजीकरण कराना जरूरी होगा। पंजीकरण से वे किसी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकेंगे तथा सरकार की नजर भी उन पर रहेगी। फर्जी दवाखाने तथा क्लिनिक बंद कराने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। इन जगहों पर इलाज के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जाता है तथा उनसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं।

अश्विनी सिंह, गाजियाबाद

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।